वैश्विक निवेश व रोजगार का साधन बनेगी जीसीसी नीति

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) नीति 2024 उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश के साथ-साथ रोजगार का साधन भी बनेगी। इस नीति के जरिए सरकार फार्च्यून 500 कंपनियों और एफडीआइ (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) पर विशेष फोकस कर रही है। साथ ही नोएडा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे महानगरों को तकनीकी और डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे अगले पांच वर्षों में दो लाख से अधिक उच्च-वेतन वाली नौकरियां सृजित होंगी।

जीसीसी नीति के तहत निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए सरकार की तरफ से भूमि पर 30-50 प्रतिशत सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट, पूंजिगत सब्सिडी के रूप में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, 20 प्रतिशत परिचालन सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा फार्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों को कई अन्य प्रोत्साहन पैकेज दिए जाएंगे। नीति में स्टार्टअप आइडिएशन के लिए दो करोड़ रुपये तक 50 प्रतिशत लागत प्रतिपूर्ति, पेटेंट के लिए पांच से 10 लाख रुपये की आइपीआर सब्सिडी और उत्कृष्टता केंद्रों के लिए 10 करोड़ तक का अनुदान शामिल है।